रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3— Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 19, 1996/श्रावण 28, 1918
No. 258] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 19, 1996/SRAVANA 28, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1996

सा. का. नि. 366(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोचिन पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कोचिन पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1996 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

अनुसूची

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की अनुमति पर कोचिन पोर्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1964 के संशोधन के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियम बनाते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 124 के अन्तर्गत अपेक्षित प्रकार उसी का प्रकाशन किया जाता है ।

कोचिन पोर्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1964 का संशोधन

1. i. इन विनियमों को कोचिन पोर्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1996 कहा जाए ।

ii. भारतीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को ये प्रवृत्त होंगे।

2. कोचिन पोर्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1964 में, इसके आगे उक्त विनियम कहा जाए ।

विनियम 2 के उप विनियम (घ) में निम्न उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :—

घ. एक कर्मचारी के "परिवार सदस्यों" में शामिल है —(1) कर्मचारी के मामले में पत्नि हो या पति जो कर्मचारी के साथ रहता है या नहीं लेकिन उस पत्नि या पति के मामले में इसमें शामिल नहीं किया जाएगा जो सक्षम न्यायालय के आज्ञाप्ति या आदेश द्वारा अलग किया हो।

(2) कर्मचारी के पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो पुर्णत: उस पर आश्रित है लेकिन कर्मचारी पर किसी भी तरह आश्रित न रहने वाला बच्चा या सौतेला बच्चा जो कानून द्वारा या जिसकी परिरक्षा से कर्मचारी ने आहरण किया है शामिल नहीं किया जा सकता ।

(3) अन्य किसी संबंधित व्यक्ति जो कर्मचारी से या ऐसे कर्मचारी की पत्नी या पति से, रक्त या शादी द्वारा संबंधित तथा ऐसे कर्मचारी पर पूर्णत:आश्रित हो ।

उक्त विनियमों में विनियम 3 के नीचे निम्न स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण 1.—एक कर्मचारी जो नियमित रूप से निश्चित समय के अन्दर अपना काम न कर दिया जाए तथा प्रतीक्षित निष्पादन के गुण के अनुसार काम न कर दिया जाए उसे उप विनियम (1 क) के खंड (11) के अनुसार कर्त्तव्य निष्ठा से रहित माना जाएगा तथा वर्तमान स्पष्टीकरण-2 के रूप में पुनरांकित किया जाए ।

उक्त विनियमों में विनियम 10 के लिए निम्न विनियम प्रतिस्थापित किया जाए/अर्थात :—

10. उपहार :— 1. इन विनियमों में अवंध किए गए के अनुसार किसी भी कर्मचारी किसी भी उपहार न स्वीकार किया जाय या उनके परिवार के सदस्य को (किसी भी व्यक्ति उनके स्थान पर हो) किसी से उपहार स्वीकार करने दिया जाय ।

स्पष्टीकरण :—"उपहार" से तात्पर्य यह है कि निशुल्क परिवहन, आवास, भोजन व्यवस्था, या अन्य सेवाएं या अन्य आवश्यक फायदायें । ये किसी भी निकटतम बंधु या वैयक्तिक दोस्त जिसके कर्मचारी के साथ कार्यालयीन व्यवहार न हो स्वीकार किया जा सकता है ।

नोट 1 : एक साधारण भोजन लिफट या अन्य सामाजिक रूप का आतिथ्य आदि "उपहार" में शामिल नहीं किया जा सकता ।

नोट 2 : किसी भी कर्मचारी को कोई व्यक्ति, औद्योगिक या वाणिज्यक फर्मों, संगठनों आदि जिनके साथ कार्यालयीन व्यवहार हो, से उदार रूप का आतिथ्य या कारबार आतिथ्य आदि स्वीकार नहीं किया जाय ।

2. विवाह वार्षिक, अन्त्येष्टि या धार्मिक अवसरों में धार्मिक रूप से कोई उपहार देने की प्रथा चालू है तो एक कर्मचारी उनके निकटतम बन्धुओं से उपहार स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में बोर्ड को सूचना दिया जाना है जब इसका मूल्य निम्न दिया गया से ज्यादा हो :—

(i) श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के कर्मचारी 1000 रुपये के उपहार ।

(ii) श्रेणी 3 कर्मचारी जो 500 रुपये के उपहार ।

(iii) श्रेणी 4 कर्मचारी 200 रुपये के उपहार ।

3. ऐसे अवसरों पर उप विनियम (2) के अनुसार एक कर्मचारी उनके निकटतम दोस्तों से जिनके साथ कार्यालयीन संबंध नहीं हो, स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जब उपहार का मूल्य निम्न प्रकार से ज्यादा हो तो, बोर्ड को सूचित किया जाय ।

(i) श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 कर्मचारियों के मामलों में 400 रुपये तक ।

(ii) श्रेणी 3 कर्मचारियों के मामलों में 200 रुपये तक ।

(iii) श्रेणी 4 कर्मचारियों के मामलों में 100 रुपये तक ।

4. किसी भी मामलों में एक कर्मचारी बोर्ड की अनुमति के बिना उपहार स्वीकार नहीं किया जाना है, जब उसका मूल्य निम्न प्रकार से ज्यादा हो :—

(i) श्रेणी 1 या श्रेणी 2 पद धारण करने वाले कर्मचारी के मामलों में 150 रुपये तक का उपहार ।

(ii) श्रेणी 3 या श्रेणी 4 पद धारण करने वाले कर्मचारी के मामलों में 50 रुपये की तोफा ।

5. उप विनियम (2), (3) एवं (4) में किसी बात के समाविष्ट होते हुए भी एक कर्मचारी जो भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य हो या अन्यथा विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से उपहार स्वीकार करते समय उपहार का मूल्य एक समय 1000 रुपये से अधिक न हो । अन्य मामलों में उपहार के स्वीकृति एवं प्रतिधारण समय-समय पर जारी अनुदेशों के मुताबिक होगा ।

6. एक कर्मचारी विदेशी फर्मों से जिसके साथ बोर्ड का संपर्क है या किसी भी व्यक्ति जिसके साथ कार्यालयीन पत्र-व्यवहार है, उपहार स्वीकार नहीं किया जाना है । किसी भी फर्मों से एक कर्मचारी उपहार स्वीकार करना उप विनियम (4) के प्रावधान पर होना चाहिए ।

"12. निजी व्यापार या रोजगार :—(1) उप विनियम (2)के प्रावधनों के अनुसार किसी भी कर्मचारी बोर्ड के पूर्व मंजूरी के अलावा स्वीकार नहीं किया जाय :—

(क) किसी भी व्यापार या धंधे में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगे रहना।

(ख) किसी अन्य रोज़गार में समझौता करना या उत्तरदायित्व लेना ।

(ग) निर्वाचित पद धारण करना या किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों या संबन्धित किसी व्यक्ति के लिए निर्वाचित कार्यालय के लिए पक्ष प्रचार करना ।

(घ) अपने परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा चलाये या प्रबन्धन किए किसी व्यापार या बीमा एजेन्सी, कमीशन एजेन्सी आदि के पक्ष में प्रचार करना ।

(ङ) कार्यालयीन कर्तव्य के अलावा किसी बैंक या अन्य पंजीकृत कंपनी या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत किए जाने वाले कंपनी या समय पर लागू नियम या किसी सहकारी समिति में वाणिज्य उद्देश्य के लिए पंजीकरण, पदोन्नति या प्रबन्धन ।

2. एक कर्मचारी बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना :—

(क) सामाजिक या दानशील प्रकृति का किसी भी अवैतिक काम लेना, या

(ख) साहित्यक, कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का अनियमित काम लेना, या

(ग) शौकीन खेलकूद कार्याकलापों में भाग लेने, या

(घ) साहित्यिक, वैज्ञानिक या दानशील सोसाइटी या क्लब या उसी तरह के संगठन के पंजीकरण, पदोन्नति, या प्रबन्धन(निर्वाचन कार्यालय के नियंत्रण में भाग न लेना) में भाग लेना, जिसका उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या समय के अनुसार जारी अन्य नियम के अनुसार खेलकूद कलात्मक या मनोरंजन कार्यकलापों में पदोन्नति ।

(ङ) सहकारी समिति जो वास्तविक रूप से कर्मचारियों के लाभ की इच्छा से संबंधित हो, सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या समय-समय पर जारी नियम के अनुसार हो जिसके पंजीकरण, पदोन्नति या प्रबंधन में भाग लेना ।

बशर्ते कि :—

1. वह इस प्रकार के कार्यकलापों में भाग लेना चेक किया जाय जब बोर्ड निर्देशित किया जाता है, तथा

2. उप विनियम के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन मामले में उसके कार्यालयीन कर्तव्य में कोई छूट नहीं होना चाहिए तथा इस प्रकार के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में एक महीने के अन्दर उनकी भागीदारी के बारे में बोर्ड को सूचना दी जानी चाहिए जिसमें भागीदारी का पूर्ण स्वभाव दी जानी चाहिए ।

3. कर्मचारी अपने परिवार के किसी भी सदस्य किसी व्यापार, व्यवसाय में लगे रहें तो या किसी बीमा एजेंसियों, कमीशन एजेन्सी का मालिक हो या प्रबन्धन किया जाय तो बोर्ड को सूचना दी जानी चाहिए ।

4. इसके सम्बन्ध में सामान्य या विशेष आदेश का प्रावधान नहीं किया गया है तो किसी निजी पार्टी या सार्वजनिक निकाय से या निजी व्यक्तियों से किए हुए काम के लिए निर्धारित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना शुल्क वसूल नहीं किया जाय ।

स्पष्टीकरण:—यहां प्रयुक्त शुल्क का मतलब मौलिक नियम 9 (6 क) में निर्धारित अर्थ से है ।

उक्त विनियमों के विनियम 15 में :—

(क) उप विनियम (1) के बाद वर्तमान उपबन्ध के लिए निम्न उपबन्ध प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात:

"बशर्ते कि कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाय जबकि यदि कार्य संपदान किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिनके साथ कार्यलयीन व्यवहार हो ।"

(ख) उप विनियम (2) के बाद वर्तमान उपबंध के लिए निम्न उपबंध जोड़ दिया जाय ।

"बशर्ते कि कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी प्राप्त किया जाय जबकि कार्य संपादन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिनके साथ कार्यालयीन व्यवहार हो ।"

(ग) उप विनियम (2) में संक्षिप्त रूप तथा राशि "5,000 रुपये एवं 2,500" के स्थान पर 10,000 रु. तथा 5,000 रु. क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाय ।

(घ) स्पष्टीकरण के खंड 1 से उप खंड (ख) के लिए निम्न उपखंड प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :

"(ख) सभी ऋण, जो प्रतिभूतित हो या नहीं, पेशगी या कर्मचारी द्वारा लिए गए हों ।

(ङ) ये फार्म, फार्म नं 3 एवं फार्म नं 4 के रूप में जोड़ा जाय ।

उक्त विनियम में विनिमय 18 एवं 19 के लिए निम्न उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाय ।

"18. विवाह के संबंध में प्रतिबंध

1. कोई कर्मचारी दूसरे व्यक्ति जिसका पति/पत्नी जीवित है, शादी के लिए तैयार न हो ।

2. कोई कर्मचारी जिसका पति/पत्नी जीवित है, और एक शादी के लिए न तैयार हो ।

"बशर्ते कि बोर्ड खंड (1) या खंड (2) के अनुसार एक कर्मचारी को शादी के लिए अनुमति दी जाए, यदि —

(क) वैयक्तिक नियम के अनुसार उस कर्मचारी के संबंध में विवाह उचित है तथा दूसरे पार्टी विवाह के लिए भी ; तथा

(ख) ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी हो ।

3. भारतीय नागरिक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना है तो बोर्ड को सूचना दी जानी चाहिए ।

19. नशीली मद्य-सेवन एवं दवाओं का उपभोग ।

(क) कोई कर्मचारी किसी भी जगह में हो, उस समय किसी नशीला मद्य-सेवन या दवाओं के सम्बन्धित नियम का पालन किया जाय ।

(ख) अपनी ड्यूटी के समय पर कोई मद्य सेवन या दवा के अधीन में न हो, तथा इस पर भी ध्यान दिया जाय कि उसकी कर्तव्य निष्पादन में इस प्रकार के नशीलापन के प्रभावों का असर न पड़ें ।

(ग) सार्वजनिक स्थान में बैठकर मद्य-पान या दवाऐं न खाना ।

(घ) नशीलेपन में सार्वजनिक स्थान में उपस्थित न होना ।

(ङ) मद्य-पान या दवाऐं अधिक मात्रा में न उपयोग करना ।

स्पष्टीकरण

इस विनियम में "सार्वजनिक स्थान" का मतलब किसी भी स्थल या परिसर (यात्रा सहित) जहाँ सार्वजनिक के लिए प्रवेश की अनुमति है, चाहे अदायगी के रूप में हो या नहीं ।

[फा. सं. पी.आर.-12016/6/95-पी.ई.-1]

अ. कु. रस्तोगी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:—मुख्य विनियम दिनांक 24-2-64 के भारत के राजपत्र के जी.एस.आ. संख्या 313 में प्रकाशित की गयी थी । बाद में संशोधन:—

(1) दिनांक 4-6-1977 के जी.एस.आर. सं. 701

(2) दिनांक 8-10-1977 के जी.एस.आर. सं. 1344

(3) दिनांक 18-8-1979 के जी.एस.आर. सं.

(4) दिनांक 5-1-1980 के जी.एस. आर. सं. 18

(5) दिनांक 17-1-1981 के जी.एस.आर. सं. 71

(6) दिनांक 30-10-1986 के जी.एस.आर. सं. 1171(ई)

(7) दिनांक 3-2-1988 के जी.एस.आर. सं. 76(ई)

(8) दिनांक 12-12-1988 के जी.एस.आर. सं. 1170(ई)

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(PORTS WING)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19 August, 1996

G.S.R. 366(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby approves the Cochin Port Employees (Conduct) Amendment Regulations, 1996 made by the Board of Trustees for the Port of Cochin and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the port of Cochin hereby makes the following Regulation to amend the Cochin Port Trust Employees (Conduct) Regulation, 1964 subject to approval of the Central Government and the same is published therein as required under Section 124 of the said Act.

Amendments to the Cochin Port Employees (Conduct) Regulations, 1964

I. 1. These Regulations may be called the Cochin Port Employees (Conduct) Amendment Regulation, 1996.

2. They shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

II. In the Cochin Port Employees (Conduct) Regulations, 1964 herein after called the said Regulations.

1. For Sub-regulation (d) of Regulation 2, the following Sub-Regulation shall be substituted, namely —

(d) 'members of the family' in relation to an employee includes —

"(i) The wife or husband, as the case may be of the employee, whether residing with the employee or not but does not include a wife or husband, as the case may be separated from the employee by a degree or order of a competent Court ;

(ii) Son or daughter or step-son or step-daughter of the employee and wholly dependent on him, but does not includee a dhild or step-child who is no longer in any way dependent on the employee or of whose custody the employee has been deprived by or under any law;

(iii) any other person related, whether by blood or marriage, to the employee or to the employee's wife or husband and wholly dependent on the employee."

2. In the said Regulations, below Regulation 3. The following explanation shall be inserted, namely —

(i) *"Explanation I*—An employee who habitually fails to perform the task assigned to him within the time set for the purpose and with the quality of performance expected of him shall be deemed to be lacking in devotion to duty within the meaning of clause (ii) of sub-Regulation (1A)".

(ii) The Existing Explanation shall be re-numbered as Explanation II.

3. In the said Regulation, for Regulation 10, the following Regulation shall be substituted, namely —

1. "10. Gifts :— 1. Save as provided in these Regulations, no employee shall accept, or permit any member of his family or (any other person acting on his behalf) to accept, any gift".

Explanation :— The Experession gift shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other necessary advantage provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealings with the employee.

Note : 1. A casual meal, lift or other Social hospitality shall not be deemed to be a gift.

Note : 2. An employee shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from any individual, industrial or Commercial firms, organisations, etc., having official dealings with him.

2. On occassions, such as wedding anniversaries, funerals or religious functions, when the making of a gift is in conformity with the prevailing religious or social practice, an employee may accept gifts from his near relatives but shall make a report to the Board if the value of any gift exceeds :—

(i) Rs. 1,000 in the case of an employee holding any Class I or Class II post;

(ii) Rs. 500 in the case of an employee holding any Class III post; and

(iii) Rs. 200 in the case of an employee holding any Class IV post.

3. On such occassions as are specified in sub-regulation (2), an employee may accept gifts from his personal friends having no official dealings with him, but he shall make a report to the Board if the value of any such gifts exceeds —

(i) Rs. 400 in the case of an employee holding any Class I or Class II post;

(ii) Rs. 200 in the case of an employee holding any Class III post; and

(iii) Rs. 100 in the case of an employee holding any Class IV post.

4. In any other case, an employee shall not accept any gift without sanction of the Board if the value thereof exceeds :—

(i) Rs. 150 in the case of an employee holding any Class I or Class II post

(ii) Rs. 50 in the case of an employee holding any Class III or Class IV post.

5. Not withstanding anyting contained in sub-regulations (2), (3) and (4), an employee, being member of Indian delegation or otherwise, may receive and retain gifts from foreign dignatories if the market value of gifts received on one occasion does not exceed Rs. 1,000. In all other cases, the acceptance and retention of such gifts shall be regulated by the instructions issued in this regard from time to time.

6. An employee shall not accept any gift from any foreign firm which is either contracting with the Board or is one with which the employee had, has or is likely to have official dealing. Acceptance of gifts by an employee from any other firm shall be subject to the provision of sub-regulations (4)".

4. In the said Regulations, for Regulation 12, the following Regulation shall be substituted, namely :—

"12. Private trade or emplyment :—(1) subject to the provisions of sub-Regulation (2), no employee shall, except with the previous sanction of the Board —

(a) engage directly or indirectly in any trade or business, or

(b) negotiate for, or undertake any other employment, or

(c) hold an elective office, or canvass for a candidate or canidates for an elective office, in any body, whether incorporated or not, or

(d) Canvass in support of any business of insruance agency, commission agency, etc., owned or managed by any member of his family, or

(e) take part except in the discharge of his official duties, in the registration, promotion or management of any bank or other Company registered or required to be registered, under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force, or of any Co-operative Society for Commercial purposes.

(2) An employee may, without the previous sanction of the Board :—

(a) Undertake honorary work of a social or charitable nature.

(b) Undertake occasional work of literary, artistic or Scientific Character, or

(c) Participate in sports activities as an amateur, or

(d) Take part in the registration, promotion or management (not involving the holding of an elective Office) of literary, scientific or charitable society or of a club or similar organisation, the aims or objects of which relate to promotion of sports, cultural or recreation activities, registered under Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any other law for the time being in force, or

(e) Take part in the registration, promotion or management (not involving the holding of elective office) of a Co-operative Society substantially for the benefit of employees, registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law for the time being in force.

Provided that :—

(i) he shall discontinue taking part in such activities, if so directed by the Board, and

(ii) in a case falling under Clause (e) of this sub-regulation, his official duties shall not suffer thereby and he shall, within the period of one month of his taking part in such activity, report to the Board giving details of the nature of his participation.

3. Every employee shall report to the Board if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency.

4. Unless otherwise provided by general or special orders on this behalf no employee may accept any fee for any work done by him for any private or public body or any private person without the sanction of the prescribed authority.

Explanation :— The term 'Fee used here shall have the meaning assigned to it in fundamental Rule 9 (6-A).

5. In the said Regulation, in Regulation 15 —

(a) after sub-regulation (1), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :

"Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the employee, if any such transaction is with a person having official dealings with him".

(b) after sub-regulation (2), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :

"Provided, that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the employee if any such transaction is with a person having official dealings with him".

(c) in sub-regulation (2), for the abbreviation and figures, 'Rs. 5,000' and '2,500' the abbreviation and figures 'Rs. 10,000' and 'Rs.5,000' shall respectively be substituted.

(d) in Explanation (1), in clause 1, for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely :

"(b) all loans, whether secured or not, advanced or taken by the employee".

(e) the forms shall be appended as Form No. III and IV.

In the said Regulations, for Regulations 18 and 19, the following Regulations shall be substituted namely :

"18 Restriction regarding Marriage.

(1) No employee shall enter into, or contract a marriage with a person having a spouse living, and

(2) No employee having a spouse living shall enter into, or contract, a marriage with any person :

Provided that the Board may permit an employee to enter into, or contract, any such marriage as is referred to in clause (1) or clause (2), if it is satisfied that —

(a) such marriage is permissible under the personal law applicable to such employee and the other party to the marriage, and

(b) there are other grounds or so doing.

3. An employee who has married or marries a person other than of Indian nationality shall forthwith intimate the fact to the Board.

19. Consumption of intoxicating drinks and drugs.

An employee shall —

(a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may have to be for the time being;

(b) not be under the influence of any intoxicating drinks or drugs during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drinks or drugs.

(c) refrain from consuming any intoxicating drinks or drugs in a public place;

(d) not appear in a public place in a state of intoxication;

(e) not use any intoxicating drinks or drugs to excess.

Explanation :— For the purpose of this regulation, "public place means any place or premises (including a conveyance) to which the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise".

[F. No. PR-12016/6/95-PE-I]

A. K. RASTOGI, Jt. Secy.

Foot Not :—The principal Regulations were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 313, dated 24-2-64. Subsequently amended vide :

(i) GSR No. 701 dated 04-06-1977.
(ii) GSR No. 1344 dated 08-10-1977.
(iii) GSR No. Nil dated 18-08-1979.
(iv) GSR No. 18 dated 05-01-1980.
(v) GSR No. No. 71 dated 17-01-1981.
(vi) GSR No. 1171 (E) dated 30-10-1986.
(vii) GSR No. 76 (E) dated 03-02-1988.
(viii) GSR no. 1170 (E) dated 12-12-1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996